



2026: AHC: 51532-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या – 4653/2026

मंजू देवीयाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 10 अन्यप्रतिपक्षीगण

याची के अधिवक्ता : प्रदीप कुमार सिंह, संतोष कुमार यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. कुछ तर्कों के बाद, याची के विद्वान अधिवक्ता ने बार (न्यायालय) के समक्ष यह बयान दिया है कि वह इस याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहते हैं और उचित मंच से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपरोक्त बयान के आलोक में, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

13 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के.यू.

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।